



76

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर भापाल बेंच

PBR/निगरानी/भोपाल/शु.सं/2017/4930 प्रकरण क्रमांक /

1. मोहम्मद अहमद आ. श्री सईद अहमद आयु वयस्क
 2. शाजिद खॉ आ. श्री सईद अहमद, आयु वयस्क
 3. सईद अहमद आ. श्री मोहम्मद अहमद, आयु वयस्क
- निवासीगण-ग्राम नरेला, बाज्याफत तहसील बैरसिया
जिला भोपाल (म.प्र) ----- आवेदकगण/निगरानीकर्ता
विरुद्ध

श्री दीपक सिंह
निवासीगण द्वारा
29-11-2017
कोरम मे प्रस्तुत किया

1. मिट्टू, आयु वयस्क,
2. प्यारा, आयु वयस्क,
3. रतीराम, आयु वयस्क

सभी आ. श्री भागीरथ उर्फ भंवरा

सभी निवासीगण- ग्राम नरेला बाज्याफत,

तहसील बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र)

----- अनावेदकगण/निगरानीग्रहिता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय नायाब तहसीलदार बैरसिया वृत्त

क्रमांक 02 व 03 जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 108/अ-12/

16-17 आदेश दिनांक 18/10/2017 के विरुद्ध

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न निवेदन है:-

1. यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व और स्वामित्व की कृषि भूमि नरेला बाज्याफत खसरा क्रमांक 64/2/2 रकबा 0.991 एवं खसरा क्रमांक 49/2/3 रकबा 0.081 ग्राम भैसोन्दा रा.नि.मं हर्खावेड़ा तहसील बैरसिया जिला भोपाल मे स्थित है तथा उपरोक्त भूमि का निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण क्रमांक 66/अ-12/09-10 के द्वारा शासकीय सीमांकन कराया गया था। उपरोक्त सीमांकन मे तहसीलदार कार्यालय द्वारा सभी मेड पड़ोसियो को सूचना पत्र प्रेषित भी कराया गया था जिसमे अनावेदकगण भी थे।



2. यह कि आवेदक द्वारा विधिवत रूप से वर्ष 2009-10 मे अपनी

निरन्तर.....2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2017/4930

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|----------------|--|--|
| 25-10-18 | <p>आवेदक अधिवक्ता श्री दीपकसिंह उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। आवेदकपक्ष दिनांक 20-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> | <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p> |